


14/11  
23

पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। वसूल प्रार्थी द्वारा मूल वाद में विज्ञापन प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जा चुका है एवं वाद जरिये विज्ञापन खारिज किया जा चुका है जिस कारण अब उक्त T.I. प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने से उक्त T.I. प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार दीकर नम्बर से कम है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बाली (जिला-पाली) राज.